उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या H09616 /सी–1/वायु प्रदूषण–29/17 दिनॉक– 24-9-17

सेवा में,

मैसर्स मेडिकेयर इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0लि0,
सी–21, फेज–1, एम0जी0रोड,
औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़

विषय :वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की यथासंशोधित की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उद्योग के सहमति आवेदन जो कि बोर्ड मुख्यालय में दिनॉक–29.08.2017 को प्राप्त है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या– 113 /सी–1/सहमति (वायु) आदेश–29/2017, दिनॉक–24-09-17 को संलग्न कर निर्गत किया जा रहा है। आपका ध्यान सहमति में दिये गये शर्तो एवम् नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करने हेतु आकृष्ट किया जाता है।

1. प्लू गैस प्रकिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के प्रत्येक 06 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे परिवेशीय गुणता मानकों के अनुरूप रहे।

3. आपके उद्योग की आडिट हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति–वर्तमान देनदारियॉ) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं। नवीनतम बैलेन्सशीट तीन माह के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें।

4. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वर्ष, 30 सितम्बर तक प्रेषित करें।

5. इकाई परिसर में रिक्त भूमि पर पर्याप्त वृक्षारोपण करें, जिससे कि वातावरण में सुधार हो एवम् पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस संदर्भ में प्रगति आख्या 03 माह में भेजना सुनिश्चित करें।

...2

6. यह सहमति अधिकतम 1.2 टन/दिन जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सामूहिक रूप से कलैक्शन, रिसेप्सन, ट्रान्सपोर्टेशन एवम् निस्तारण हेतु मान्य होगी।
7. संस्था द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सामूहिक ट्रान्सपोर्टेशन हेतु नियत किये गये वाहनों का रूट चार्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाये।
8. संस्था द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का कलेक्शन रिशेप्शन, ट्रोन्सपोर्टेशन, स्टोरज, ट्रीटमेट एवम् निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
9. संस्था से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार टीएसडीएफ के माध्यम से किया जायेगा।
10. संस्था द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
11. संस्था का संचालन इस प्रकार आसपास के पर्यावरण एवम् जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
12. कन्टीन्यूअस ऑनलाईन मानीटरिंग सिस्टम का संचालन व रख–रखाव सत्त रूप से किया जाये।

13. शोधित उत्प्रवाह को वेट स्क्रबर में पुनः प्रयोग किया जाये।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

(डा0 राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग का सत्त अनुश्रवण रखें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 113 /सी–1/सहमति (वायु) आदेश/2017 लखनऊ, दिनॉक– 24-09-17

विषय : **मैसर्स मेडीकेयर इन्वायनमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 (रमेकी इन्टरनेशनल इन्वायनमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0लि0) सी–21, फेज–1, एम0जी0रोड, औ0क्षेत्र, हापुड़** को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथासंशोधित) की धारा–21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ : आवेदन संख्या– दिनॉक :

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र सहमति **मैसर्स मेडीकेयर इन्वायनमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 (रमेकी इन्टरनेशनल इन्वायनमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0लि0), हापुड़** को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति दिनॉक–**31.12.2018** तक की अवधि हेतु मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत । सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

अनुलग्नक : संलग्नक ।

(सहमति शर्ते)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या–113 /सहमति(वायु)आदेश–109/2017 दिनॉक 24.09.17

सहमति शर्ते

1. पलू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नही होनी चाहिए ।

वायु प्रदूषण के श्रोत	सम्बद्ध चिमनी
(i) 150 कि0ग्रा0/घण्टा क्षमता का इन्सीनिरेटर	चिमनी की ऊँचाई भू–तल से 30 मीटर ।
(ii)82.5केवीएक्षमता का डी0जी0सैट	चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप।

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो ।
   (i) पार्टिकुलेट मैटर–50 मिलीग्राम प्रतिनार्मल घन मीटर । (पी0एम0)
3. समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु संख्या–4, 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनॉक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तो का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।

(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तो का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।

10 किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों सदर्भित धारा–29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा–29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।

11 इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।

12 इकाई का रख–रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नही होना चाहिए।

13 इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य ''आउट लेट'' से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14 इकाई से आबादी, कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।

15 आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तो का अनुपालन संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता /इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16 उपरोक्त इंगित समस्त शर्ते अधिनियम की धारा–21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैद्य रहेगी।

17 आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 120 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 120 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।

....4

18 बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।

19 आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।

20 इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21 इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0–12, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

पंजीकृत

संदर्भ संख्या H09617 /सी–1/जल प्रदूषण–29/17 दिनॉक– 24-9-17

सेवा में,

मैसर्स मेडिकेयर इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0लि0,
सी–21, फेज–1, एम0जी0रोड,
औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़

विषय :जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रकिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति ।

महोदय,

कृपया उद्योग के सहमति आवेदन जो कि बोर्ड मुख्यालय में दिनॉक–29.08.2017 को प्राप्त है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या–120/सी–1/सहमति (जल) आदेश–29/2017, दिनॉक–24-09-17 को संलग्न कर निर्गत किया जा रहा है। आपका ध्यान सहमति में दिये गये शर्तो एवम् नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करने हेतु आकृष्ट किया जाता है।

1. जल सप्लाई स्त्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें तथा मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।

2. घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक सोकपिट के माध्यम से करें किसी भी दशा में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण नदी/नाले आदि में न किया जाये।

3. आपके उद्योग की आडिट हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति–वर्तमान देनदारियॉ) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं। नवीनतम बैलेन्सशीट तीन माह में प्रेषित करें।

4. ठोस अवशिष्ट पदार्थो को इस प्रकार से निस्तारित किया जाये जिससे कि मृदा, नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्त्रोत का जल प्रदूषित न हो।

5. उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी रखरखाव एवम् संचालन इस प्रकार सुनिश्चित करें जिससे कि निस्तारित होने वाला उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे।

.....2

6. उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 यथासंशोधित का अनुपालन किया जाये।
7. इकाई परिसर में रिक्त भूमि पर पर्याप्त वृक्षारोपण करें, जिससे कि वातावरण में सुधार हो एवम् पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस संदर्भ में प्रगति आख्या 03 माह में भेजना सुनिश्चित करें।
8. यह सहमति अधिकतम 1.2 टन/दिन जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सामूहिक रूप से कलैक्शन, रिसेप्सन, ट्रान्सपोर्टेशन एवम् निस्तारण हेतु मान्य होगी।
9. संस्था द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सामूहिक ट्रान्सपोर्टेशन हेतु नियत किये गये वाहनों का रूट चार्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाये।
10. संस्था द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का कलेक्शन रिशेप्शन, ट्रोन्सपोर्टेशन, स्टोरज, ट्रीटमेट एवम् निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
11. संस्था से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार टीएसडीएफ के माध्यम से किया जायेगा।
12. संस्था द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
13. संस्था का संचालन इस प्रकार आसपास के पर्यावरण एवम् जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
14. शोधित उत्प्रवाह को वैट स्क्रबर में शत–प्रतिशत पुनः प्रयोग किया जाये।
15. कन्टीन्यूअस ऑनलाईन मानीटरिंग सिस्टम का संचालन व रख–रखाव सत्त रूप से किया जाये।
16. जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एस0ओ0 3187(अ) दिनॉक–07.10.2016 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित तथा समस्त पर्यावरण विधियों एवम् सुसंगत नियमावलियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
18. भूजल दोहन हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर तीन माह में प्रेषित करें।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा–27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

(डा0 राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग का सत्त अनुश्रवण रखें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0–12, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 120/सी–1/सहमति जल–29/2017 लखनऊ, दिनॉक–24-09-17

विषय : **मैसर्स मेडीकेयर इन्वायनमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 (रेमकी इन्टरनेशनल इन्वायनमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0लि0) सी–21, फेज–1, एम0जी0रोड, औ0क्षेत्र, हापुड** को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या– दिनॉक :

1. जल राशि या (ड्रेन) में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में **मैसर्स मेडीकेयर इन्वायनमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 (रेमकी इन्टरनेशनल इन्वायनमेन्टल मैनेजमेन्ट प्रा0लि0) , हापुड़** को उसके परिसर से निकलने वाले उसके औद्योगिक उत्प्राह को ईटीपी के माध्यम से सिचाई/ड्रेन द्वारा सरिता/नदी में निस्तारित करने के लिए तथा घरेलू उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित करने हेतु अनुलग्नक में उल्लिखित समान्य और विशेष शर्तो के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनॉक–**31.12.2018** तक की अवधि हेतु मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा–27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(डा0 राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

अनुलग्नक : संलग्नक।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या–.....120...../सहमति(जल)/आदेश/2017 .दिनॉक 24-09-17

सहमति शर्ते

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नही होनी चाहिए ।

उत्प्रवाह का प्रकार			अधिकतम दैनिक निस्तारण कि0ली0/दिन
(i)	घरेलू	–	1.2
(ii)	औद्योगिक	–	4.4

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग–अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्वाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नही करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नही करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो ।

3. (i) घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सैप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से किया जाये।
   (ii) औद्योगिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

27° से0 पर 3 दिन की बी0ओ0डी0	30 मिग्रा/ली0 से अधिक न हो
कुल निलम्बित ठोस, अधिकतम	100 मिग्रा0/ली0से अधिक न हो

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह (पर्यावरण) संरक्षण अधिनियम, 1986 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नही होना चाहिए।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए।
7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।

...3

8. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या–2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

9. उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन में प्रयुक्त विद्युत मीटर की माप हेतु पृथक से विद्युत मीटर स्थापित कर उसकी लागबुक मेन्टेन की जाये। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन हेतु प्रशिक्षित कार्मिकों की नियुक्ति की जाये।

10. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तो की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।

11. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भॉति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।

12. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थो का भली भॉति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।

(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।

(ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।

(iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।

13. हैजार्ड्स पदार्थो एवम् विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।

14. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा–3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा ऑचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।

15. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख–रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्ब, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नही दिया जाना चाहिए।

16 प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

...4

17 शुद्धिकृत घरेलू व प्रकिया जनित उत्पव्राह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय–समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

18 प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिय गये निर्देशों तथा बाद में समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तो का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।

19 प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।

20 उपरोक्त शर्ते जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नही कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।

21 प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।

22 एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

23 प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।

24 फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्पव्राह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियॉ या मच्छरों की पैदावार हो, को नही होने दिया जाए।

25 निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर(प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।

26 इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1